अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

ठाकुर हेम्ब्रम
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–बेलपहाडी,

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख...जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 15/2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तार्र सहित
1	2	3

25.7.19

अंचल अधिकारी, उधवा के पत्रांक 443/रा0 दिनांक 19.07.2019 के द्वारा मौजा–बेलपहाडी के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।

अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– बेलपहाडी में दिनांक 18.07.2019 को हल्का कर्मचारी के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री ठाकुर हेम्ब्रम, पिता–विर सिंह हेम्ब्रम, ग्राम–राजभिठा को मौजा– बेलपहाडी में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।

अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– बेलपहाडी एक प्रधानी मौजा है। ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री ठाकुर हेम्ब्रम, पिता–विर सिंह हेम्ब्रम, ग्राम– राजभिठा, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है।

श्री ठाकुर हेम्ब्रम एक शिक्षित व्यक्ति है। ये खतियानी रैयत फुरलय हेम्ब्रम के परपोता है। किसी रैयत ने भी आवेदक ठाकुर हेम्ब्रम के प्रधान बनने से आपत्ति दर्ज नही किया है। अतएव ठाकुर हेम्ब्रम प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है।

अतएव अंचल अधिकारी, उधवा के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक ठाकुर हेम्ब्रम को मौजा– बेलपहाडी में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, उधवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

ज्ञापांक 331/UO
दिनांक 25.7.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner